कार्यालयः जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटपूतली (राज0)

क्रमांकः स्था0 / 153 दिनांकः 20 दिसम्बर, 2025

:: आ दे श ::

प्रायः यह देखा गया है कि इस न्यायक्षेत्र के अपीलीय न्यायालयों में अपील प्रस्तुत होने के बाद काफी लम्बे समय तक विचारण न्यायालय की पत्रावली को अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब नही किया जाता है तथा सूचना के अभाव में अभिलेख शाखा द्वारा पत्रावलियों को तलफ किये जाने की सम्भावना बनी रहती है, जो कि न्यायिक प्रक्रिया के प्रतिकूल एवं नियम विरूद्ध है।

अतः अपीलीय न्यायालय में पदस्थापित समस्त पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के खिलाफ उनके न्यायालय में अपील प्रस्तुत होते ही प्रथम पेशी पर ही विचारण न्यायालय की पत्रावली को आवश्यक रूप से तलब कर लिया जावे।

अपीलीय न्यायालय में पूर्व से लंबित अपील जिनमें अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाना है तो संबंधित न्यायालय से 03 दिवस की अवधि में अभिलेख आवश्यक रूप से तलब किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे।

S.d

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोटपूतली

क्रमांकः 2253-55/ स्था0 दिनांकः 20 दिसम्बर, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. समस्त न्यायालय, कोटपूतली–बहरोड़ न्यायक्षेत्र।
2. सिस्टम सहायक को जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटपूतली की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित न्यायालयों को ई–मेल करने हेतु।
3. संबंधित पत्रावली।

20/12/25

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोटपूतली